लोक स्वास्थयु या त्रुकीय वभाग द्वारा गाधी चिकित्सा महा वद्दयालयु एव हमीदियु चिकित्सालय भोपाल हेत निर्मित तरल अपशिष्ट उपचार सयंत्र का लोकार्पुण माननीय डा.नरोत्तम मिश्रा, मत्री म.प्र.शासन , चिकित्सा शिक्षा, लोक स्वास्थय एव परिवारु कल्याण, द्वारा दिनाक 12 अगस्त 2014 को किया गया।

लोकार्पुण समारोहु की झलकीया

- लोकार्पुण समारोहु की झलकीयु

मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग

गांधी चिकित्सा महाविद्यालय एवं हमीदिया चिकित्सालय, भोपाल
हेतु नवनिर्मित

तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र

का

लोकार्पण

दिनांक 12 अगस्त 2014

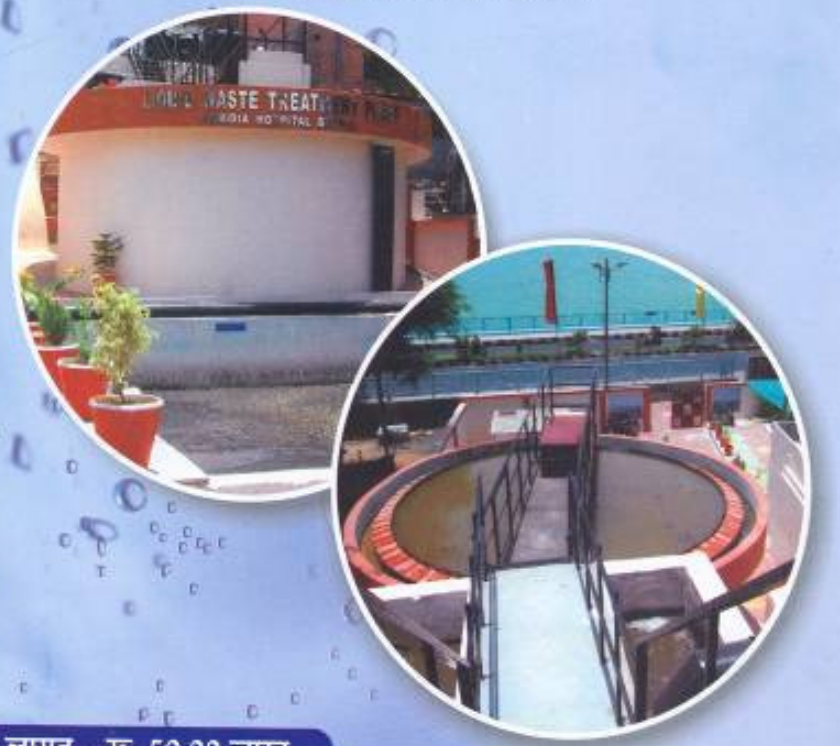

लागत - रू. 50.00 लाख

तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र

गांधी चिकित्सा महाविद्यालय एवं हमीदिया चिकित्सालय भोपाल से उत्पन्न होने वाले तरल अपशिष्ट के उपचार हेतु, इस नवनिर्मित तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र का निर्माण कार्य, म.प्र. मानव अधिकार आयोग के निर्देश तथा प्रदूषण निवारण मण्डल भोपाल म.प्र. की अनुशासानुसार राजधानी परियोजना खण्ड क्रमांक 2, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग भोपाल द्वारा निक्षेप कार्य के अंतर्गत किया गया है। संयंत्र की लागत रू. 50.00 लाख है, जो कि गांधी चिकित्सा महाविद्यालय स्वशासी समिति द्वारा प्रदान की गई है। उपरोक्त कार्य के साथ गांधी चिकित्सा महाविद्यालय एवं हमीदिया चिकित्सालय की बाह्य सीवेज प्रणाली हेतु पूर्व में स्थापित 150 एवं 200 मि.मी. व्यास की क्षतिग्रस्त सीवर लाईन के स्थान पर 300 मि.मी. व्यास की आर.सी.सी. सीवर लाईन बिछाने का कार्य भी किया गया है, इस कार्य हेतु चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग को लागत राशि रू. 30.40 उपलब्ध कराई गई है।

डॉ. बी.पी. दुबे
अधिष्ठता,
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय,
भोपाल

सयत्र कु ववरणु

नवनिर्मित तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र की क्षमता 0.5 एम.एल.डी. (पांच लाख लिटर प्रतिदिन) है। संयंत्र निर्माण के कार्यस्थल का चयन इस प्रकार किया गया है जिसमें तरल अपशिष्ट को उपचार करने हेतु पंपिंग की आवश्यकता नही है। तरल अपशिष्ट स्वतः ही प्रथम यूनिट से अंतिम यूनिट तक गुरुत्वीय प्रवाह द्वारा पहुंचता है।

संयंत्र पर तरल अपशिष्ट को उपचारित करने हेतु जीव चिकित्सा अपशिष्ट के प्रबंध एवं हस्तन नियम 1998 में किये गये प्रावधान (भारत के राजपत्र में 27 जुलाई 1998 को प्रकाशित केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली की अधिसूचना) अनुसार एलम एवं लिक्विड क्लोरीन का उपयोग कर संक्रमणरहित किया जाता है। तरल अपशिष्ट के उपचार उपरांत समीप स्थित लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग के फतेहगढ़ सीवेज पंप गृह पर शहर के सीवेज के साथ एकत्रित कर पंपिंग द्वारा पातरा सीवेज पंप हाउस पर पहुंचाया जाता है। पातरा सीवेज पंप हाउस से इसे पुनः पंपिग द्वारा 09 कि.मी. दूर स्थित माहोली दामखेड़ा स्थित मलजल शोधन संयंत्र में उपचार हेतु भेजा जाता है।

माहोली दामखेड़ा मलजल शोधन संयंत्र पर प्राप्त तरल अपशिष्ट के साथ शहर के मलजल को सी.पी.एच.ई.ई.ओ. मानक के अनुरूप उपचारित कर निकटतम नाले में प्रवाहित किया जाता है, जो कि बड़े तालाब के संग्रहण क्षेत्र से बाहर है।

एस.के. चतुर्वेदी
कार्यपालन यंत्री
राजधानी परियोजना खण्ड क्र. 2
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग, भोपाल

सयत्र कु ववरणु